

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 54/2023 अपील सू.प्र.

**उनवान**

नवरतनमल जैन पुत्र शंकरलाल बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं  
निवासी भीलवाड़ा तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर  
जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 19-12-2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के विरुद्ध प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ एक आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2023 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को प्रेषित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.09.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 19-12-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(आशीष मोदी)  
जिला कलेक्टर एवं  
प्रथम अपीलट अधिकारी  
जिला भीलवाड़ा कलेक्टर  
भीलवाड़ा